संख्या-751 /अडतीस-7-2017-200नरेगा/2009टीसी-1

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 12 जून, 2017

विषय- राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनओं/कार्यक्रमों का सोशल आडिट कराया जाना।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन नाम से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्था का गठन किया जा चुका है। संगठन के अन्तर्गत निदेशक, सोशल आडिट, अपर निदेशक, सोशल आडिट तथा संयुक्त निदेशक के पदों के साथ जनपद स्तर पर सोशल आडिट कराये जाने हेतु जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर तथा खण्ड स्तर पर ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर की व्यवस्था गयी है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट हेतु ब्लाक रिसोर्स पर्सन/सदस्यों की टीम का नामांकन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि उक्त संगठन के पास व्यवहारिक रूप से सोशल आडिट/सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु सुदृढ संगठनात्मक ढांचा उपलब्ध है। सोशल आडिट संगठन द्वारा वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) से संबंधित योजनाओं का पंचायत स्तर पर सोशल आडिट सम्पन्न कराया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहा है।

2- उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन की सेवाओं व इसकी क्षमता का अधिकतम सदुपयोग किये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ अन्य विभागों जैसे- पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पिछडा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण, सिंचाई, लघु सिंचाई आदि की ऐसी योजनाएं, जो

जनसाधारण को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं, का सामाजिक अंकेक्षण करने में किया जा सकता है। अत: यह उचित होगा कि विभागों द्वारा फील्ड स्तर पर संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों को सोशल आडिट से आच्छादित किया जाय तथा यह दायित्व उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन को सौंपा जाय।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी एवं विकास परक योजनाओं/कार्यक्रमों का फील्ड स्तर पर उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के संबंध में सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाय। जिन विभागों द्वारा अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों का सोशल आडिट कराया जाय, उन विभागों द्वारा इस हेतु उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन से परामर्श कर सोशल आडिट हेतु गाइड लाइन, प्रारूप एवं आने वाले व्यय-भार का आंकलन कर उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- कृपया उपरोक्त के संबंध में अपने विभागों में चल रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का सोशल आडिट कराने के संबंध में यथा आवश्यक शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

संख्या-741 (1)/अड्तीस-7-2017 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निदेशक, सोशल आडिट, पी0सी0एफ0 बिल्डिंग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संबंधित विभागों/प्रमुखों तथा विभागाध्यक्षों से समन्वय स्थापित करते हुए सोशल आडिट के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(सहदेव) 12.6.2017
विशेष सचिव।